

**East Central Railway
Dhanbad Division**

Notification No- CMP & Specialist(GDMP- Full time)/16/2025-26, Dhanbad, dated: 10.09.2025

Engagement of Contract Medical Practitioner (GDMP) & Specialist Contract Medical Practitioner on Contract Basis

Engagement will be conducted by East Central Railway as mentioned below for engagement of full time General Duty Medical Practitioner for various Health Unit of Dhanbad Division of East Central Railway. Willing Doctor who fulfill the qualification/ eligibility criteria specified below may apply for the above engagement. The engagement will be offered purely on contract basis for the period of one year which can be renewed as a fresh contract on one year to year or till the post filled by regular doctors selected from UPSC or till the validity of this scheme, whichever is earlier.

1. General Duty Medical Practitioner (Full time) CMP- 07 posts

(A) Description of Posts:

Vacancies: CMP (GDMP-Full Time) -07 Nos. (SC-00, ST-02, OBC-02, EWS- 01, UR-02)

Sl No.	Division/ Rly	Vacancies	Hospital/ Health Unit/ Place
1	Dhanbad Division, East Central Railway	07 Nos.	DRH-03, SDRH/PTRU-02, BLI-01, PTRU/Dsl/HU-01

(B) Qualification for CMP:

- MBBS with internship.
- Registered with medical Council of India/Medical Council of State.

(C) Remuneration:

Rs.95,000/- (Rs. Ninty Five thousand only) per month, if Railway accommodation is not provided. If Railway accommodation is provided, deduction will be made from the monthly remuneration equivalent to House Rent Allowance payable on minimum pay of Junior Scale Officer (GP. Rs. 5400/- only in Level – 10, as per 7th PC) and fixed license fee for accommodation. Rs. 1,23,500/- (One Lac Twenty Three Thousand Five Hundred only) per month for 1st year and Rs. 1,30,000/- (One Lac Thirty Thousand only) per month from 2nd year onwards.

- Age Limit:** Not exceeding 60 years as on 10.09.2025. Age relaxation will be provided as per extent rules 05 years for SC/ ST Communities & 03 years for OBC, as the case may be. It will not be applicable for retired Doctors.
- Retired IRMS Officers, Retired Government Medical Officers of State Government and Central Government may also apply against above vacancies.** The condition will be as under :-
 - Age :** Not exceeding 67 years as on 10.09.2025.
 - Educational Qualification:** Minimum qualification requires is MBBS.
 - Remuneration:** Fixed remuneration of Rs. 46,000/- (Forty six thousand only) per month. (Subject to condition that remuneration + Pension drawn by Retired Doctors should not exceed the last pay drawn).
 - Terms as conditions will be followed as mentioned in Rly. Bd's Letter No. 2008/E(GR) II/1/1, dated- 16.07.12, Rly Bd's L. No. 2013/E (GR)II/1/5, dated- 20.05.2014, L No. 2014/ E (GR)II/1/1, dt. 13.06.17, 2013/ E(GR)II/ 1/ 5, New Delhi, dated- 09.07.2018 & Rly Bd's L. No. 2018/ Terms. Cell/ Health/ Medical Issue, dated- 24.08.2018.

4. Schedule & Venue of Interview :

Will be intimated later. Last date of application is **30.09.2025**. All the applications should be submitted to this office- D.R.M. Office, Personnel Branch, E-Gazette section/Dhanbad.



5. How to apply:

Applicant intending to join as Contract Medical Practitioner & Specialist CMP should apply on prescribed format (enclosed) and submitted the same to D.R.M. Office, Personnel Branch, E-Gazette section/Dhanbad alongwith a photocopy of all the following enclosures. On the date of interview at the venue along with self attested photocopies of following documents and attend the Walk-in interview with original certificates mentioned below: -

- a) Proof of Age.
- b) Proof of passing MBBS, Internship, PG Degree, Diploma & Other educational certificate.
- c) Proof of registration in Indian Medical Council/ Medical Council of State.
- d) Proof of caste in case of SC/ ST Candidate & non- Creamy layer certificate in case of OBC Candidate (Only Central Govt. Prescribed format will be accepted in case of OBC).
- e) Proof of EWS certificate (Only on prescribed format for Central Government will be accepted in case of EWS).
- f) Mark Sheet (s) of relevant qualification (s).
- g) 4 (Four) copies of Passport size photograph with self signature.
- h) Experience Certificate, if any.
- i) Retired doctor should also brought PPO & Service certificate with him.

6. General Conditions and others facilities :

- a) The daily rate of proportionate reduction from the remuneration in the event of absence will be applicable.
- b) Railway administration has legitimate right to transfer the engaged CMPs anywhere on Dhanbad division in case of administrative exigency.
- c) One set of 1st class complementary pass for self and family during each contract period which shall be issued after three months of regular contract service. Contract medical Practitioner can avail free Medical treatment on E. C. Railway Hospital for self only.
- d) No TA/ DA will be paid to the candidates for attending interview.
- e) Selected candidates will be posted in any Hospital/ Health Units of this Dhanbad Division of East Central Railway. The vacancies announced are only indicative and railway reserve the right to make adjustments.
- f) CMP will have no right to posting against regular vacant post or transfer on request.
- g) CMP will not be allowed private practice after sanction of contract.
- h) The candidates working in any Medical Organization/ State Govt. should submit their application through proper channel with "No Objection Certificate".
- i) Numbers of posts and place specified above are subject to change. Offer will be on the basis of vacancies available at the time of engagement.
- j) Posts indicated herein may be kept unfilled at the discretion of administration.
- k) Contract Medical Practitioners who enter into contract with the Railways will not have any claim or right for his / her continuity in service or automatic extension of the term of contract service rendered as a fulltime contract. Doctors will not have any bearing in respect of considering of their period in regular selection through UPSC nor will it confer any right for regularization or absorption.
- l) If Railway accommodation is provided subject to availability and after meeting the requirement of serving railway officers an amount equivalent to HRA payable to afresh entrant to Group 'A' Jr. Scale and license fee of the Railway accommodation so provided will be deducted from the monthly remuneration payable to the Contract Medical Practitioner.
- m) In case Specialists are not available against the vacancies as notified, Railway reserves the right to engage General Duty Doctors against these vacancies also.
- n) Offer of engagement will be issued in favour of selected candidates; the candidates should report within 15 days from the date of issue of offer letter. The candidates not reported within stipulated time, offer may be treated as cancelled.
- o) Contract of the CMPs can be terminated by the Railway at any time during the contract period by giving 15 days notice without assigning any reason as per terms and condition laid down vide Rly. Bd's Letter No. 96/ E (GR) II/ 9/ 16, dated- 23.02.2000, L. No. 2007/ H/1/1, dt. 16.10.2008, Letter No. 2008/ E (GR)II/ 1/ 1, dated- 16.07.2012, L. No. 2013/ E (GR)II/1/5, dated- 20.05.2014, L No. 2014/E (GR) II/9/16, dated- 13.06.2017 & Rly Bd's Letter No. 2018/ Terms. Cell/ Health/ Medical Issue, dated- 24.08.2018.



- p) Candidates should report with original relevant document for interview at the venue on the date of interview (will be intimated later) positively otherwise candidature may not be considered.
- q) Notification & other information regarding CMP engagement may be downloaded from www.ecr.indianrailways.gov.in (Click Division>Dhanbad>Personnel>Recruitment/Selection Notification).

DA: Application format.


for Divisional Railway Manager (Pers.)
E. C. Railway, Dhanbad

FORMAT FOR APPLICATION

To

**Divisional Railway Manager (Pers.),
East Central Railway, Dhanbad.**

Affix here
self attested
Passport

Sub: Engagement of fulltime Contract Medical Practitioner/ Specialist CMP on Contract Basis for
Dhanbad Divn.

Ref: DRM/P/DHN's No. CMP & Specialist(GDMP- Full time)/16/2025-26, Dhanbad, dated: 10.09.2025.

As per above notification, I hereby apply myself as a candidate for engagement of full time Contract Medical Practitioner / Specialist CMP on Contract basis. My personal Bio- data is as under:

1. Name:
2. Father's/ Husband's name:
3. Date of birth:
4. Age as on 10.09.2025 :
5. Community: (UR/SC/ST/OBC/EWS) :
6. Address for communication:
7. Telephone/ Mobile No. & E. mail address:
8. Nationality:
9. Educational/ Professional Qualification :

Particular of Examination	Result (Year)	Medical University	No. of attempts	Total marks /Marks obtained	Percentage of marks
TOTAL					

10. Date of completion of internship :

11. Particulars of working as Contract medical Practitioner, if served earlier :

Name of railway	Engagement/ Contract Station	Period of Contract, from... to....

12. Experience if any:

13. Registration No. of Medical Council of India/ State :

14. Preference for posting :

I hereby declare that the particulars given above are correct. If any information given by me is found incorrect/ false at any stage, my selection/ engagement is liable to be terminated without any further notice to me and action may be taken against me under criminal/ civil law.

15. List of enclosures :

Signature of Candidate

Full name

Address

Place:

Date:

FORMAT OF APPLICATION FOR RETIRED DOCTORS

To

**Divisional Railway Manager (Pers.),
East Central Railway, Dhanbad.**

Sub: Engagement of fulltime Contract Medical Practitioner on Contract Basis for Dhanbad Division

Ref: DRM/P/DHN's No. CMP & Specialist(GDMP- Full time)/16/2025-26, Dhanbad, dated: 10.09.2025.

Affix here
self attested
Passport
Division

As per above notification, I hereby apply myself as a candidate for engagement of full time Contract Medical Practitioner/ Specialist CMP on Contract basis. My personal Bio- data is as under:

1. Name:
2. Father's/ Husband's name:
3. Date of birth:
4. Age as on 10.09.2025:
5. Retirement date :
6. Post & place at the time of Retirement ;
7. Last Pay drawn :
8. Pension drawn as on 10.09.2025:
9. Community: (UR/SC/ST/OBC/EWS) :
10. Address for communication:
11. Telephone/ Mobile No. & E mail address:
12. Nationality:
13. Educational/ Professional Qualification :

Particular of Examination	Result (Year)	Medical University	No. of attempts	Total marks /Marks obtained	Percentage of marks
TOTAL					

14. Date of completion of internship :

15. Particulars of working as Contract medical Practitioner, if served earlier :

Name of railway	Engagement/ Contract Station	Period of Contract, from... to....

16. Registration No. of Medical Council of India/State :

17. Preference for posting :

I hereby declare that the particulars given above are correct. If any information given by me is found incorrect/ false at any stage, my selection/ engagement is liable to be terminated without any further notice to me and action may be taken against me under criminal/ civil law.

18. List of enclosures :

Signature of Candidate:

Full name:

Address:

Place:

Date:

पूर्व मध्य रेल

अधिसूचना संख्या : सीएमपी एवं विशेषज्ञ (जीडीएमपी-पूर्णकालिक)/16/2025-26, दिनांक 10.09.2025

अनुबंध के आधार पर सामान्य ड्यूटी संविदा चिकित्सकों (जीडीएमपी पूर्णकालिक) सीएमपी के तैनाती हेतु इंटरव्यू(Interview)

संविदा पर पर पूर्णकालिक सामान्य ड्यूटी संविदा चिकित्सक सीएमपी के लिए "इंटरव्यू" (Interview) का आयोजन पूर्व मध्य रेलघनबाद , मंडल के अस्पताल एवं विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए किया जा रहा है। इच्छुक चिकित्सक जो निम्न वर्णित शैक्षणिक योग्यता/निर्धारित योग्यता रखते हों, वे "इंटरव्यू" के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह तैनाती पूर्णतः ठेके (संविदा) के आधार पर 01 वर्ष के लिए होगी तथा वर्षवार इसका नवीनीकरणसंघ लोक सेवा) रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार वर्ष दर वर्ष अथवा पद के नियमित चिकित्सक ,अवधि विस्तार/ ,रहने तक से भरे जाने तक या योजना के लागु (आयोग के द्वारा चयनित चिकित्सक जो पहले हो तक के लिए वैध रहेगा ,।

1. सामान्य ड्यूटी संविदा चिकित्सक (पूर्णकालिक) सीएमपी:

(क) पद का विवरण:

सामान्य ड्यूटी संविदा चिकित्सक की रिक्ति (पूर्णकालिक) :07 (SC-00, ST-02, OBC-02, EWS-01, UR-02)

क्रम सं.	मंडल/रेलवे	रिक्तियों की संख्या	अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्र/स्थान
1.	धनबाद मंडल	07	मंडल रेल अस्पताल/धनबाद -03, उपमंडलीय रेलवे अस्पताल/पतरातू-02, भूली स्वा० के० -01, पतरातू (डीजल) स्वा० के० -01

(ख) सीएमपी हेतु शैक्षणिक योग्यता:-

- एम.बी.बी.एस इंटरनशिप के साथ।
- इंडियन मेडिकल काउंसिल/मेडिकल काउंसिल ऑफ़ स्टेट में पंजीकृत होना चाहिए।

(ग) मानदेय:-

सीएमपी (पूर्णकालिक) हेतु रु० 95,000/- (रु० पंचानवे हजार) मात्र प्रति माह, यदि रेलवे आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है। यदि रेलवे आवास सुविधा उपलब्ध कराया जाता है तो निर्धारित मानदेय से शुल्क के रूप में अवर वेतनमान अधिकारी (ग्रेड वेतन -5400/-, 7 वां वेतनमान के अनुसार, लेवल -10) के न्यूनतम स्तर पर दिया जानेवाला आवास किराया भत्ता के समतुल्य राशि एवं आबंटित आवास के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क की कटौती की जाएगी। विशेषज्ञ सीएमपी (पूर्णकालिक) हेतु रु० 1,23,500/- (रु० एक लाख तेईस हजार पांच सौ) पहले एक वर्ष एवं रु० 1,30,000/- (रु० एक लाख तीस हजार) मात्र प्रति माह दुसरे वर्ष से, यदि रेलवे आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

- आयु निर्धारण :** दिनांक 10.09.2025 को 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अजा/अजजा समुदाय के अभ्यर्थियों के मामले में 05 वर्ष एवं अ० पि०व० के लिए 03 वर्ष तक की छुट दी जाएगी। यह सेवानिवृत्त चिकित्सकों पर लागु नहीं होगा।
- सेवानिवृत्त आईआरएमएस अधिकारी, राज्य तथा केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त चिकित्सक भी रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं। शर्तें निम्नवत होंगी :-**

- आयु : दिनांक- 10.09.2025 को 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एम.बी.बी.एस होगा।
- मानदेय : नियत वेतन रु० 46,000/- (रु० छियालिस हजार)/प्रतिमाह होगा। (यह मानदेय इस शर्त के साथ देय होगा कि मानदेय + पेंशन आहरित अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा)।
- इस मामले में रेलवे बोर्ड के पत्र सं०: 2008/ई(जीआर)III/1/1. दिनांक: 16.07.2012, पत्र सं० 2013/ई(जीआर)III/1/5. दिनांक: 20.05.2014, पत्र सं० 2014/ई(जीआर)III/1/1. दिनांक: 13.06.2017, पत्र सं० 2013/ई(जीआर)III/1/5. दिनांक: 09.07.2018 और पत्र सं० 2018/ट्रान्स सेल/हेल्थ/मेडिकल ईशयु, दिनांक: 24.08.2018 में उल्लेखित नियम एवं शर्तें लागु होंगे।

क्रमशःपृष्ठ/2

(3) साक्षात्कार की सारणी:

बाद में प्रकाशित की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि- 30.09.2025 है। सभी आवेदन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, धनबाद, कार्मिक विभाग, राजपत्रित अनुभाग में जमा किये जायेंगे।

आवेदन कैसे करें:- जो अभ्यर्थी अनुबंधित सीएमपी पूर्णकालिक चिकित्सक/ विशेषज्ञ सीएमपी (पूर्णकालिक) के रूप में सेवा देने को इच्छुक हो, वे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रपत्र भर कर स्वसत्यापित संलग्नक दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, धनबाद, कार्मिक विभाग, राजपत्रित अनुभाग में जमा किये जायेंगे।

- (i) साक्षात्कार की तिथि को (बाद में सूचित की जाएगी) निम्नलिखित प्रमाण- पत्रों की स्वसत्यापित छायाप्रति के साथ आवेदन करें तथा साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्रों के साथ शामिल हों :-
- (ii) जन्म तिथि से सम्बंधित प्रमाण पत्र।
- (iii) एम.बी.बी.एस इंटरनेशिप स्नात्कोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र।
- (iv) इंडियन मेडिकल कौंसिल/राज्यों में पंजीयन से सम्बंधित प्रमाण पत्र।
- (v) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के हों तो जाति प्रमाणपत्र तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी होने पर ओबीसी-क्रीमीलेयर में न होने का प्रमाण पत्र (केंद्र सरकार के निर्धारित प्रारूप में हों)।
- (vi) ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र (ईडब्ल्यूएस के मामले में केवल केंद्र सरकार के लिए निर्धारित प्रारूप ही स्वीकार किया जाएगा)।
- (vii) सम्बंधित योग्यता से संबंधित अंक पत्र।
- (viii) स्व-हस्ताक्षरित चार पासपोर्ट आकार के स्वयं का फोटो।
- (ix) अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र यदि हो तो।
- (x) सेवानिवृत्त चिकित्सकों के मामले में पी.पी.ओ तथा सेवा प्रमाणपत्र साथ हों।

4. सामान्य शर्त एवं अन्य सुविधाएं:-

(क) अनुपस्थिति की स्थिति में मानदेय से अनुपातिक आधार पर दैनिक कटौती लागू होगा।

नुसार कहीं भी स्थानांतरण करने अनुबंध के आधार पर तैनात मेडिकल प्रैक्टिशनर का पूर्व मध्य रेल में प्रशासनिक आवश्यकता के अ (ख) का अधिकार रेल प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।

महीने की लगातार सेवा देने के उपरांत एक सेट पास प् 03 प्रत्येक संविदा की अवधि के दौरान (ग) रथम श्रेणी मानार्थ पास स्वयं एवं परिवार के लिए जारी किए जा सकते हैं।

जो (घ) अभ्यर्थी पहले से किसी चिकित्सा संगठन/राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं, वे अपना आवेदन उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ जमा करेंगे।

(ङ) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(च) यह अधिसूचित किया जाता है कि चयनित उम्मीदवारों धनबाद मंडलस्वस्थ केंद्र पर /पूर्व मध्य रेलके किसी भी अस्पताल , पदस्थापित किया जा सकता है। अधिसूचित रिक्ति सिर्फ सांकेतिक है एवं रेल प्रशासन के पास इसमें परिवर्तन का पूरा अधिकार सुरक्षित होगा।

(छ) अनुबंध की स्वीकृति के पश्चात् अनुबंधित चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।

ऊपर (ज) विनिर्दिष्ट पदों की संख्या और स्थान में परिवर्तन शर्त के अधीन है। नियुक्ति का प्रस्ताव तत्समय उपलब्ध रिक्तियों पर आधारित होगा।

(झ) अधिसूचित पदों को खाली रखने अथवा भरने का अधिकार रेल प्रशासन को होगा।

(अरेलवे के साथ अनुबंध करने वाले अनुबंधित मेडिकल प्रैक्टिशनर को सेवा में बने रहने अथवा पूर्णकाल (िक अनुबंध के तौर पर की गई अनुबंध सेवा की शर्त में स्वतः विस्तार का कोई दावा अथवा अधिकार नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग से चयनित होने की स्थिति में अनुबंध के आधार पर कार्यरत अनुबंधित मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में की गयी सेवा को नियमित सेवा के साथ शामिल नहीं किया जायेगा और न ही इस सेवा को नियमित सेवा में महत्व दिया जायेगा।

अवर वेतनमान अधिकारी के 'क'- णीयदि रेलवे आवास उपलब्ध कराया जाता है जो निर्धारित मानदेय से शुल्क के रूप में श्रे (ट) न्यूनतम वेतन स्तर पर दिया जाने वाला आवास किराया भत्ता के समतुल्य राशी एवं आबंटित आवास के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क की कटौती की जाएगी।

हैं तो उस स्थिति में रिक्ति को सामान्य ड्यूटी विशेषज्ञों हेतु अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध यदि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते (ठ) चिकित्सकों द्वारा भरने का अधिकार रेल प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।

(ड) रेलवे बोर्ड के पत्र सं-96 (जीआर)/ई/II/9/1623 दिनांक ,02.2000:पत्र सं ,2007/एच/1/116 दिनांक ,07.2008, पत्र सं :. 2013 (जीआर)/ई/II/1/520 नांकदि ,05.2014, पत्र सं :.2014 (जीआर)/ई/II/1/1 दिनांक ,13.06.2017 तथा पत्र सं :.2018/ट्रांस सेल दिनांक ,मेडिकल ई यु/हेल्थ/24.08.2018 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार रेलवे द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय 15 दिनों की नोटिस पर बिना कोई कारण बताये अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।

(ढ) केवल चयनित चिकित्सकों को ही बुलावा पत्र भेजा जायेगा। अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र जारी होने की तिथि से पंद्रह (15) दिनों के अन्दर नियुक्ति हेतु रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में बुलावा पत्र को रद्द समझा जायेगा।

5. अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के दिन सभी सम्बंधित मूल प्रमाणपत्रों- के साथ निर्धारित स्थल पर प्रातः 10.00 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं होगा।

6. अधिसूचना एवं अन्य सूचना पूर्व मध्य रेल के वेबसाइट www.ecr.indianrailways.gov.in. (Click Division>Dhanbad>Personnel>Recruitment/Selection Notification) से डाउनलोड किया जा सकता है।

संलग्नक : आवेदन का प्रारूप।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)

पूर्व मध्य रेल, धनबाद

आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

बरीय मंडल कार्मिक अधिकारी,

पूर्व मध्य रेल, धनबाद

विषय - धनबाद मंडलपूर्व मध्य रेल, अनुबंध के आधार पर सीएमपी पूर्णकालिक संविदा चिकित्सक सीएमपी (पूर्णकालिक) की तैनाती।

सन्दर्भ - म.प्र.(का.)/धनबाद का अधिसूचना सं. सीएमपी (जीडीएमपी -पूर्णकालिक/16/2025-26), दिनांक 10.09.2025

उपर्युक्त अधिसूचना के सन्दर्भ में मैं अनुबंध के आधार पर सीएमपी पूर्णकालिक संविदा चिकित्सक सीएमपी की तैनाती हेतु आवेदन करता/करती हूँ। मेरा/मेरी बायो-डाटा निम्न प्रकार है :-

1. नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. दिनांक 10.09.2025 को आयु :
5. जाति (अज/अजजा/अपिजाईडब्लूएस//सामान्य) :
6. पत्राचार का पता :
7. दूरभाष सं/मोबाइल सं/ई-मेल पता :
8. स्थाई पता :
9. राष्ट्रीयता :
10. शैक्षणिक योग्यता :

पासपोर्ट आकार
का स्व सत्यापित
फोटो चिपकाएँ

परीक्षा का विवरण	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विश्वविद्यालय	प्रयासों की संख्या	अंको का प्रतिशत

11. इंटरनशिप पूर्ण होने की तिथि :
12. पूर्व में अनुबंध के आधार पर चिकित्सक के रूप में कार्य करने का विवरण (यदि कोई हो) :

रेलवे का नाम/ संगठन	अनुबंध का स्टेशन	अनुबंध की अवधि

13. इंडियन मेडिकल काउंसिल/ मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट द्वारा प्रदत्त पंजीकरण संख्या :

14. अनुभव :

15. संलग्नको की सूची :

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में उपर दी गयी सभी सूचनाएं सत्य है। यदि उपरोक्त दी गयी सूचनाओं में कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर गलत या असत्य पायी जाती है तो मेरी सेवा बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी और मेरे विरुद्ध आपराधिक/civil कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

पता:

स्थान :

दिनांक : _____

सेवानिवृत्त चिकित्सकों हेतु आवेदन का प्रारूप

सेवा में ,
वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी,
पूर्व मध्य रेल, धनबाद

विषय – धनबाद मंडल, पूर्व मध्य रेल अनुबंध के आधार पर सीएमपी पूर्णकालिक संविदा चिकित्सकों / विशेषज्ञ सीएमपी (पूर्णकालिक)की तैनाती।

सन्दर्भ – म.प्र.(का.)/धनबाद का अधिसूचना सं. सीएमपी (जीडीएमपी)-पूर्णकालिक/16/2025-26, दिनांक 10.09.2025

उपर्युक्त अधिसूचना के सन्दर्भ में मैं अनुबंध के आधार पर सीएमपी पूर्णकालिक संविदा चिकित्सकों / विशेषज्ञ सीएमपी की तैनाती हेतु आवेदन करता/करती हूँ। मेरा/मेरी बायो-डाटा निम्न प्रकार है :-

1. नाम :

2. पिता/पति का नाम :

3. जन्म तिथि :

4. दिनांक 10.09.2025 को आयु :

5. जाति (अज/अजजा/अपिजा/ईडब्ल्यूएस/सामान्य) :

6. रेल सेवा से सेवानिवृत्त की तिथि:

7.सेवानिवृत्त पर पद एवं स्थान:

8. आहरित अंतिम वेतन:

9. दिनांक 10.09.2025 को प्राप्त पेंशन:

10. पत्राचार का पता :

11 सं/मोबाइल सं/ई-मेल पता :

पासपोर्ट आकार
का स्व सत्यापित
फोटो चिपकाएँ

12.. स्थाई पता :

13. राष्ट्रीयता :

14. शैक्षणिक योग्यता :

परीक्षा का विवरण	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विश्वविद्यालय	प्रयासों की संख्या	अंको का प्रतिशत

11. इंटर्नशिप पूर्ण होने की तिथि :

12. पूर्व में अनुबंध के आधार पर चिकित्सक के रूप में कार्य करने का विवरण (यदि कोई हो) :

रेलवे का नाम/ संगठन	अनुबंध का स्टेशन	अनुबंध की अवधि(.....से.....)

13. इंडियन मेडिकल काउंसिल/ मेडिकल काउंसिल ऑफ़ स्टेट द्वारा प्रदत्त पंजीकरण संख्या :

14. अनुभव :

15. संलग्नको की सूची :

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में उपर दी गयी सभी सूचनाएं सत्य है। यदि उपरोक्त दी गयी सूचनाओं में कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर गलत या असत्य पायी जाती है तो मेरी सेवा बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी और मेरे विरुद्ध आपराधिक/civil कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

पता:

स्थान :

दिनांक : _____